रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 13 अक्तूबर, 1990/21 आश्विन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 10 अगस्त, 1990

संख्या 2366-2370.—यह कि विकास खण्ड अधिकारी बैजनाथ ने सूचित किया है कि प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड बैजनाथ ने आवश्यकता से अधिक राशि दिनांक 23-1-1990 को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैजनाथ से अर्थात् 5965/- रु० की मांग के प्रति मु० 15,000/- रु० निकाले। इसके अतिरिक्त दिनांक 6-2-1990 को मु० 13,000/- रु० की राशि निकाली जबकि इसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया।

दिनांक 28-6-1990 को पंचायत के चहियार डाकखाना के बचत खाता से 5,792/- रु० निकाल कर अनाधिकृत रूप से अपने पास रखकर हिमाचल प्रदेश पंचायत वित्त नियम 8 का उल्लंघन करते हुए पंचायत निधि का दुर्नियोजन किया है। पंचायत का कोषाध्यक्ष ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी है जो केवल 250/- रु० की राशि अपने पास रख सकता है। प्रधान ग्राम पंचायत को पंचायत निधि रखने का कोई अधिकार नहीं।

और यह कि मु० 4,030/- रु० रास्ता निर्माण कोठी पर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय किया गया दिखाया है जोकि वास्तव में बनाया ही नहीं गया। इससे सिद्ध होता है कि उक्त मु० 4,030/- रु० का छलहरण किया गया है।

यह कि पंचायत में एक ही समय एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया है अर्थात् रसीद बुक 32 को दिनांक 22-2-1990, रसीद बुक 33 को 27-3-1990 तथा रसीद बुक 34 को भी इसी अवधि में प्रयोग

में लाया है। केवल यही नहीं राशि प्राप्त करते समय रसीदों पर तारीख अंकित नहीं की गई है । इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान पंचायत निधि का निरन्तर दुरुपयोग करता रहा है ।

और यह कि पंचायत स्टाक रजिस्टर के अनुसार जब चार क्विंटल सरिया और 18 बोरी सीमेंट स्टाक में था तो इन्हें प्रयोग न करने और सरिया व सीमेंट पंचायत कार्यों के लिये बाजार से क्रय करना स्पष्ट पंचायत स्टाक का दुरुपयोग है ।

और यह कि सीमेंट की ढुलवाई पर मु0 200/- रु0 का व्यय दिनांक 30-3-1990 को दिखाया है जबकि सीमेंट 25-5-1990 को क्रय किया है । इसी प्रकार 1,400 पत्थरों की ढुलाई 30-3-1990 को की जबकि उक्त पत्थरों की तुड़वाई मास जून, 1990 में की गई है जोकि पंचायत निधि का स्पष्ट दुर्नियोजन है ।

यह कि पंचायत अभिलेख में अर्थात वस्तुओं के स्टाक रजिस्टर में निम्न क्रय की गई वस्तुओं का इन्द्राज नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के सही उपभोग का पता नहीं चलता:—

क्रम संख्या	विवरण	बाउचर संख्या तथा दिनांक	राशि
1.	150 फुट बजरी	19 दिनांक 23-3-90	1080-00
2.	150 फुट बजरी	23 दिनांक 25-2-90	1000-00
3.	10 बैग सीमेंट	25 दिनांक 25-2-90	820-00
4.	रेत बजरी आधा ट्रक	27 दिनांक 25-2-90	750-00
5.	16 बैग सीमेंट	28 दिनांक 10-3-90	1336-00
6.	2 बैग सीमेंट	30 दिनांक 25-3-90	164-00
7.	117 घोड़े रेत	31 दिनांक 25-3-90	2323-15
8.	खरीद सरिया	40 दिनांक 30-3-90	1400-00
9.	खरीद 1400 पत्थर	41 दिनांक 30-3-90	1080-00
10.	रेत बजरी 32 घोड़े	4 दिनांक 26-5-90	320-00

उक्त अनियमितताओं के लिये प्रधान उत्तरदायी है ।

और यह कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों में सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का उल्लंघन करते हुए सामग्री तथा मजदूरी के मापदण्ड का ध्यान न रखते हुए निम्न प्रकार से राशि व्यय की है:—

विवरण	सामग्री	मजदूरी	योग
निर्माण रास्ता बस अड्डा से सनेहणा ।	4966-00	1038-00	6024-00
निर्माण रास्ता राजनगर से हरिजन बस्ती ।	3101-00	650-00	3751-00

वास्तव में सामग्री और मजदूरी पर 50 : 50 की दर से व्यय होना था अर्थात् सामग्री (Component) किसी भी दशा में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना था ।

यह कि पंचायत में दिनांक 15-12-89 से 20-7-90 तक हुई आय तथा किये गये व्यय को पंचायत से अनुमोदित नहीं करवाया गया है जिसका दायित्व पंचायत प्रधान का है ।

उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि प्रधान पंचायत द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अनेक वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं ।

अतः मैं, बी0 के0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला उन शक्तियों का प्रयोग जो हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री कुलदीप चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि वह अपना स्पष्टीकरण इस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। यदि निश्चित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि आप को उपरोक्त लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और एकपक्षीय कार्यवाही प्रयोग में लाई जायेगी ।

बी0 के0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 अगस्त, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1) 32/90.—अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव चुरूडू, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र से जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सवक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विवरण

जिला: ऊना तहसील: अम्ब

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में
1	2	3 4 5
चुरूडू	1017	0 77 15
	1057	0 07 51
	1058	0 13 13
	1159	0 07 25
	1160	0 10 59
	1161	0 08 88
	1162	0 09 59
	1163	0 01 12
	1164	0 01 08
	1165	0 03 08
	1166	0 00 98
	1167	0 02 28

1	2	3	4	5
	1168	0	02	12
	1169	0	02	76
	1170	0	00	52
	1171	0	06	21
	1172	0	01	09
	1173	0	02	04
	1174	0	11	38
	1175	0	18	44
	1176	0	26	23
	1177	0	48	24
	1178	0	01	82
	1179	0	10	68
	1180	0	38	24
	1181	0	41	79
	1182	0	27	30
	1184	0	30	35
	1185	0	01	54
	1186	0	05	07
	1187	0	01	70
	1188	0	29	44
	1189	0	29	72
	1190	0	24	27
	1191	0	19	64
	1192	0	12	76
	1193	0	25	13
	1194	0	45	00
	1195	0	02	51
	1196	0	06	44
	1197	0	05	64
	1198	0	07	84
	1199	0	07	20
	1200	0	30	59
	1201	0	02	37
	1202	0	04	80
	1203	0	05	06
	1204	0	10	56
	1205	0	15	59
	1206	0	24	19
	1207	0	13	12
	1208	0	11	46
	1209	0	10	30
	1210	0	11	77
	1213	0	13	92
	1240	0	12	00
	1241	0	10	56
	1242	0	11	10
	1243	0	17	84
	1244	0	06	46
	1245	0	44	63
	1246	0	02	61
	1247	0	00	22
	1248	0	04	13
	1249	0	03	00
	1250	0	01	70
	1251	0	01	40
	1252	0	00	38
	1253	0	03	34
	1254	0	01	16
	1255	0	18	64
किल्ला ..	71	9	34	65

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

पर्यटन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 सितम्बर, 1990

संख्या 6-14/89-पर्यटन (सचि0).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप मुहाल चांसू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर

में पर्यटक आवास के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिये सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता रिकांग पीओ के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	इलाका गांव	खसरा सं0	क्षेत्र हैक्टेयर
1	2	3	4	5
किन्नौर	सांगला	उप-मुहाल चांसू।	54	0-09-70
			56	0-06-65
			57	0-03-86
		कित्ता .. 3		0-20-21

आदेश द्वारा,
अजय प्रसाद,
आयुक्त एवं सचिव (पर्यटन)।

कार्मिक विभाग (नि-I)

अधिसूचना

शिमला-2, 3 सितम्बर, 1990

संख्या पर (ए-1)-बी (3)-1/90.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री बि0 के0 गोविल, शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश को उनकी सेवाकाल की पूर्ण होन के पश्चात् दिनांक 31-3-1991 (अपराह्न) से सेवा निवृत होने के सहर्ष आदेश करते हैं।

मधु सूदन मुखर्जी,
मुख्य सचिव।

जन-जातीय विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 सितम्बर, 1990

संख्या टी0 डी0 (ए0) 4-7/82-II.—हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् के गठन सम्बन्धी पिछली सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) तथा नियम 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश जन-जातीय सलाहकार परिषद् का उन क्षेत्रों के लिये सहर्ष निम्न प्रकार से तत्काल पुनर्गठन करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं:—

1. श्री शान्ता कुमार, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।	अध्यक्ष
2. श्री नगीन चन्द्र पाल, राजस्व मन्त्री, हिमाचल प्रदेश ।	उपाध्यक्ष
3. श्री ठाकुर सैन नेगी, अध्यक्ष, विधान सभा, हिमाचल प्रदेश ।	उपाध्यक्ष
4. श्री महेश्वर सिंह, संसद सदस्य, रूपी पैलेस, कुल्लू-175101.	सदस्य
5. श्री तुलसी राम, विधायक, भरमौर-176315.	-यथोपरि-
6. श्री फुन्चोण राय, विधायक, गांव लरी, डा0 ताबो जिला लाहौल-स्पिति-172114.	-यथोपरि-
7. श्री हिशे डोग्या, गांव एव डा0 गौन्धला जिला लाहौल-स्पिति-175132.	-यथोपरि-
8. श्रीमती दमयन्ती देवी, प्रधान पंचायत समिति, स्पिति स्थित काजा-172114.	-यथोपरि-
9. श्री करग्यल छोपल प्रधान, ग्राम पंचायत ताबो, जिला लाहौल-स्पिति-172114.	
10. श्री छेरिंग नोरबू, पूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति स्थित काजा-172114.	-यथोपरि-
11. श्री भानी चन्द, गांव चलोली, डा0 धरवास, तहसील पांगी, जिला चम्बा-176323.	-यथोपरि-

12. श्री रांझा राम, गांव डंडीयारड़ा, डा0 खणी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा-176 315. — सदस्य

13. श्री चमन लाल, गांव एवं डा0 कुलेठ, तहसील भरमौर, जिला चम्बा-176315. — -यथोपरि-

14. श्री सेहर चन्द, गांव व डाकखाना साच, तहसील पांगी, जिला चम्बा-176 32 3. — -यथोपरि-

15. श्री छेरिंग भाग, प्रधान, ग्राम पंचायत पूह, जिला किन्नौर-172111. — -यथोपरि-

16. श्री चेत राम नेगी, काल्पा-17 2108. — -यथोपरि-

17. श्रीमती विजय लक्ष्मी, ग्राम व डाकखाना कानम, जिला किन्नौर-172107. — -यथोपरि-

18. श्री राम लाल, ग्राम तथा डाकखाना सांगला, जिला किन्नौर-172 106. — -यथोपरि-

2. क्रम संख्या 3 से 6 पर सदस्यगण इस परिषद् के तब तक सदस्य रहेंगे जब तक कि वे संसद/हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहते हैं, क्रम संख्या 7 से 18 तक अंकित सदस्य उनके मनोनयन की तिथि से नियम 5 (2 तथा 3) के अन्तर्गत इस परिषद् के दो वर्ष की अवधि के लिय पदासीन रहेंगे परन्तु वे (क्रम संख्या 7 से 18) इस अवधि के पूर्व राज्यपाल महोदय की खुशनूदी पर दो वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पूव भी सदस्यता से हटाये जा सकते हैं ।

3. इस परिषद् के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्यों को निम्न वर्णित यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा :—

1. सरकारी सदस्य अपने पदानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।
2. गैर-सरकारी सदस्य इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई, 1987 के अनुलग्नक के अनुरूप यात्रा एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे ।

4. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण, हिमाचल प्रदेश-171002 गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा एवं दैनिक भत्ता की अदायगी के सम्बन्ध में नियन्त्रक अधिकारी होंगे ।

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 3*rd September,* 1990

No. STV(Env.).A(4)6/88.—In continuation of this Department notification of even number dated 19th May, 1989 and subsequent notifications of even number dated 7th July, 1989 and

29th May, 1990, regarding constitution of the District Environment Protection Committees in all the Districts of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate/associate the following officials as members on the District Environment Protection Committee in the Districts, where they exist, with immediate effect:—

1. All the Assistant Engineers, Water Pollution Control Board, in the concerned District.
2. All the Divisional Forest Officers (Territorial) and (Working Plan) in concerned District.

Sd/-
Financial Commissioner-cum-Secretary.

HOME DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 11th September, 1990

No.Home (B) 1-10/68.—In continuation of this department notification of even number, dated 11-9-1990 in the 4th line *the words* "Act No. 5 of 1972" *the word may be read as* under:—

"(Act No. 5 of 1973)".

M. S. MUKHERJEE,
Chief Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 सितम्बर, 1990

संख्या होम (बी) 1-10/68.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल समस्त पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 (1973 का 5) की धारा-3 खण्ड (*i*) तथा (*ii*) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 के उपबन्ध निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित सभी नियोजनों को लागू होंगे :—

अनुसूची

नियोजन के नाम :

1. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन सभी नियोजन ।
2. हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाओं के अधीन सभी नियोजन ।
3. हिमाचल प्रदेश में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी नियोजन ।
4. हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सभी नियोजन ।
5. हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक विभाग के अधीन सभी नियोजन ।
6. नगर निगम शिमला के अधीन सभी नियोजन ।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन सभी नियोजन ।
8. राज्य में नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों के अधीन सभी नियोजन ।
9. राज्य में हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग क अधीन सभी नियोजन ।
10. राज्य में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अधीन सभी नियोजन ।
11. हिमाचल प्रदेश में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अधीन सभी नियोजन ।

12. हिमाचल प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन सभी नियोजन ।
13. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अधीन सभी नियोजन ।
14. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठन के अधीन सभी नियोजन ।

आदेश द्वारा,

एम० एस० मुखर्जी,
मुख्य सचिव ।

[*Authoritative English Text of the H.P. Government Notification No.* 2-22/85-*Sharm, dated* 12-9-90 *required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th September, 1990

No. 2-22/85-Shram.—Whereas the services of the Himachal Road Transport Corporation falls in the first Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947);

And whereas the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the aforesaid services be declared as public utility services in the public interest for a period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (*vi*) clause (N) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to declare the services of the Himachal Road Transport Corporation as public utility services for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from 12-9-1990.

By order,

Sd/-
Finanancial Commissioner-cum-*Secretary.*

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 1990

संख्या कल्याण(ए) 4-14/82.—इस विभाग की अधिसूचना सम संख्या दिनांक 4 जुलाई, 1988 के क्रम में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, राज्य स्तरीय महिला समिति के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति देते हैं । उक्त समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	मुख्य मन्त्री	.. अध्यक्ष
2.	राजस्व मन्त्री	.. उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती विद्या स्टोक्स, विधायिका	.. गैर-सरकारी सदस्य
4.	श्रीमती लीला शर्मा, विधायिका	.. गैर-सरकारी सदस्य
5.	श्रीमती सुषमा शर्मा, विधायिका	.. गैर-सरकारी सदस्य
6.	कुमारी श्यामा शर्मा, विधायिका	.. गैर-सरकारी सदस्य
7.	श्रीमती लीला दण्डन, उपाध्यक्ष, हथकरघा निगम	.. गैर-सरकारी सदस्य
8.	श्रीमती शकुन्तला मार्फत श्री महेन्द्र सिंह, गांव व डाकखाना बड़सर मेहरे, जिला हमीरपुर ।	.. गैर-सरकारी सदस्य

9. अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड	..	गैर-सरकारी सदस्य
10. सचिव, शिक्षा	..	सदस्य
11. सचिव, स्वास्थ्य	..	सदस्य
12. सचिव, ग्रामीण एकीकरण विभाग	..	सदस्य
13. सचिव, उद्योग	..	सदस्य
14. सचिव, समाज एवं महिला कल्याण	..	सदस्य
15. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण	..	सदस्य-सचिव ।

कमेटी के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे:—

1. महिलाओं के कार्यक्रम के लिए योजना जो राज्य की वार्षिक योजना का एक भाग बनेगा । इनकी योजना आगामी योजनाओं में भी सम्मिलित की जाएंगी ।

2. महिला समिति की बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार या अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगी ।

3. समिति का कार्यकाल इसके गठन के दो वर्ष की अवधि के लिए होगा । गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता संलग्न अनुदेशों को मध्यनजर रखते हुए दिया जाएगा ।

4. यह अधिसूचना राज्य वित्त विभाग की डायरी संख्या 792-फिन(सी)बी(15)9/87, दिनांक 3-8-1990 द्वारा पूर्व स्वीकृति लेकर जारी की गई है ।

ANNEXURE

T. A. AND D. A. TO NON-OFFICIAL MEMBERS OF THE COMMITTEE

1. *Travelling Allowance :*

(*i*) *Journey by rail.*—They will be treated at par with Govt. servants of the first grade of highest class and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used, but not exceeding the fare to which the Govt. servants of the first grade of highest class are normally entitled, *i. e.* accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.

(*ii*) *Journey by road.*—They will be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor-cycle/scooters, mileage allowance at 60 paise per km for plain areas and 80 paise per km in hilly areas, or if journey is performed by full taxi/own car, the Members will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per km in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km in the hills.

(*iii*) In addition to the actual fare of mileage as per items (*i*) and (*ii*) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, and the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I Officers of the State Government.

2. *Daily Allowance* :

(*i*) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rate as admissible to a Government servant of the first grade for respective locality.

(*ii*) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under:—

(*a*) If the absence from headquarters does not exceed six hours	..	Nil.
(*b*) If the absence from the headquarters exceed six hours but does not exceed 12 hours	..	70%.
(*c*) If the absence from headquarters exceed 12 hours	..	Full.

3. *Conveyance Allowance.*—A member of resident, at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scales indicated above, will be allowed only actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid for, the Controlling Officer should verify the claims and satisfy himself that after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member used his own car, he will be granted mileage allowance, at the rates admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the Committee, from and to the places of their permanent residence to attend a meeting of the Committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting. Travelling Allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting whichever is less.

5. *Member of Vidhan Sabha.*—The non-official members who are member of Vidhan Sabha shall be entitled to TA/DA in respect of journeys performed in connection with the work of the Committee on the scale as is admissible to them under the Salaries and Allowances of Members of Legislative Assembly.

6. The members will not be entitled to daily allowance in connection with their assignment when the Vidhan Sabha or Vidhan Sabha Committee on which the members are serving is in Session as they will be drawing their daily allowance under the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly (H. P.) Act, 1971, from the Vidhan Sabha. However, if they certify that they were prevented from attending the session of the House or the Vidhan Sabha Committee and did not draw any daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowance at the rates as prescribed :

Provided that claims on account of travelling, halting and incidental allowances of members for attending the meetings of committees appointed by the Government shall be paid after these have been countersigned by the Secretary, Vidhan Sabha, for encashment.

7. The provision of rules 4.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply *mutatis* in the case of over-payment made on account of travelling allowance to non-official members.

8. The member will also not draw T. A./D. A. including conveyance allowance which will disqualify them from the Vidhan Sabha.

9. *Official Members.*—The official members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

आदेश द्वारा,
अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 15 सितम्बर, 1990

संख्या : गृह (बी) 1-10/68.—हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम, 1972 (अधिनियम 1973 का 5) की धारा 3 (*i*) (*ii*) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करत हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सहर्ष यह घोषित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा (बनाए रखने का) अधिनियम, 1972 (1973 का 5) के उपबन्ध हिमाचल प्रदेश सरकार के निम्नलिखित विभागों क नियोजनों को लागू होंगे :—

1. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग	समस्त नियोजन (गृह रक्षकों को छोड़ कर जिनके लिए अलग से कानूनी प्रावधान है) ।
2. हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-1	समस्त नियोजन वाच एण्ड वार्ड स्टाफ, केयर टेकर, चौकीदार, क्लाश, रेजिडेंट एसिस्टैंट और उसका सहयोगी स्टाफ, गेट कीपरज और सुरक्षित स्टाफ ।

Shimla-2, the 15th September, 1990

No. Home (B) 1-10/68.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (3) of section 7 of the Himachal Pradesh Essential (Maintenance) Act, 1972 (Act No. 5 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers mentioned in the schedule below to make complaints in writing in respect of offence committed under the aforesaid Act by any person in the employment of services mentioned in the notification No. Home (B) 1-10/68 dated 15-9-1990, issued under section 3 of the said Act.

SCHEDULE

Name of the employment	*Authorised officers*
1. Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Department.	1. Commandant General, Home Guards and Civil Defence-*cum*-Director, Fire Services, H. P. 2. Deputy Commandant General, Home Guards and Civil Defence, H. P. 3. All Commandants Home Guards in H. P.
2. Himachal Pradesh Civil Secretariat, Shimla.	1. Deputy Secretary (SA) to the Government of Himachal Pradesh.

Name of the employment	*Authorised officers*
	2. Officer on Special Duty (SA) to the Government of Himachal Pradesh.
	3. Under Secretary (SA) to the Government of Himachal Pradesh.

By order,
P. T. WANGDI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

भाषा एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 सितम्बर, 1990

संख्या : भाषा-डी (4)-4/89.—राज्य सरकार की यह राय है कि जिला मण्डी में मन्दिर श्री हणोगी माता के समुचित प्रशासन के लिए आवश्यक पग उठाना जनहित में समीचीन और आवश्यक है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का 18) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची-I से क्रम संख्या 17 का विलोप करते हैं ।

आदेश द्वारा,
अजय प्रसाद,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 सितम्बर, 1990

संख्या आवास-1 (ए) 4-3/80. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आवास-1 (ए) 4-3/80, दिनांक 5 अक्तूबर, 1985 तथा दिनांक 10 फरवरी, 1987 का अधिक्रमण करते हुए और हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड अधिनियम, 1972 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का निम्नलिखित रूप में तुरन्त पुनर्गठन करते हैं अर्थात् :—

1. ठाकुर जगदेव चन्द, लोक निर्माण तथा आवास मन्त्री	अध्यक्ष
2. श्री जीत सिंह नेगी, नाहन	सदस्य
3. चौधरी सरवण कुमार, कांगड़ा	सदस्य
4. श्री चन्द्र सेन, कुल्लू ।	सदस्य
5. आयुक्त एवं सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2	सदस्य

6. आयुक्त एवं सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1 सदस्य

7. आयुक्त एवं सचिव (स्वायत्त प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-5 सदस्य

8. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश शिमला-2 सदस्य

9. प्रमुख अभियन्ता (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश शिमला सदस्य

10. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला-2 सदस्य-सचिव

आवास बोर्ड का मुख्यालय शिमला में स्थित होगा । गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता केवल नियमों के अनुसार प्रदान किया ।

आदेश द्वारा,
ए० के० महापात्र,
आयुक्त एवं सचिव ।

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 1990

No. HSG-1(A)4-3/80.—In supersession of this Department notification No. HSG-1(A)4-3/80 dated 5th October, 1985 and dated 10th February, 1987 and in exercise of the powers vested in him under section 3 read with section 5 of the Himachal Pradesh Housing Board Act, 1972, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to reconstitute the Himachal Pradesh Housing Board as follow with immediate effect:—

1. Thakur Jagdev Chand,
   Public Works and Housing Minister,
   Himachal Pradesh .. *Chairman*
2. Shri Jeet Singh Negi, Nahan .. *Member*
3. Chaudhary Sarwan Kumar, Kangra .. *Member*
4. Shri Chander Sain, Kullu .. *Member*
5. Commissioner-*cum*-Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh .. *Member*
6. Commissioner-*cum*-Secretary (Housing) to the Government of Himachal Pradesh .. *Member*

7. Commissioner-*cum*-Secretary (LSG) to the Government of Himachal Pradesh .. *Member*

8. Chief Engineer (Irrigation and Public Health) Himachal Pradesh Shimla .. *Member*

9. Engineer-in-Chief (PW), Himachal Pradesh, Shimla .. *Member*

10 Secretary-*cum*-Chief Engineer, Himachal Pradesh Housing Board, Shimla-2 .. *Member-Secretary*

2. The headquarter of the Board shall be at Shimla. The non-official members will be allowed only the T. A. and D. A. in accordance with the rules.

By order,

A. K. MOHAPATRA,
Commissioner-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 5 अक्तूबर, 1990

संख्या पी० सी० एच०-एच० बी० (4) 17/76.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री गंगा राम, प्राचार्य (राजपत्रित श्रेणी-II) पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, बैजनाथ को 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दिनांक 28-2-1991 (दोपहर बाद) से सेवा निवृत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (पंचायत)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।